:नियमावली :

1- संस्था का नाम :- अभय ग्रामीण विकास आश्रम।

2- संस्था का पता :- ग्राम रानीपुर, पो० सिरसा चौराहा, तहसील हँडिया, जनपद इलाहाबाद, उ० प्र० ।

3- संस्था का कार्यक्षेत्र:- समस्त उत्तर प्रदेश होगा आवश्यकता अनुसार कार्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है ।

4- संस्था के उद्देश्य:- संलग्न स्मृति पत्र के अनुसार होंगे ।

5- संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग:

जो व्यक्ति संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों में आस्था रखते हैं होंगे सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त तथा विद्वान होंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जावेंगे। सदस्य बनाने का अधिकार अध्यक्ष व मन्त्री का होगा सदस्यों के निम्न वर्ग होंगे ।

आजीवन सदस्य:-

जो व्यक्ति इस संस्था के उद्देश्यों कीपूर्ति हेतु निस्वार्थ भावना से रूपया 1000/- एक बार में एकमुश्त अदा करेंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

संरक्षक सदस्य:-

जो व्यक्ति इस संस्था के विकास हेतु 2000/- एक बार में एक मुश्त नकद अदा करेंगे तथा इतने या इससे अधिक मूल्य की चल या अचल सम्पत्ति देंगे वे इस संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा संस्था के संरक्षक सदस्य बनाये जावेंगे ।

सामान्य सदस्य :-

जो व्यक्ति इस संस्था के सदस्य बनना चाहेंगे उन्हें निर्धारित प्रार्थना पत्र परप्रवेश शुल्क के रूप में रूपया 5/-नकद जमा करना होगा तत्पश्चात् 20/- प्रतिवर्ष जनवरी माह में अदा करने वाले व्यक्ति प्रबन्ध समिति द्वारा साधारण सदस्य बनाये जावेंगे ।

6- सदस्यता की समाप्ति:- 1- मृत्यु होने पर 2- पागल होने पर 3- दिवालिया होने पर 4- किसी न्यायालय द्वारा दंडित होने पर, 5- संस्था का सदस्यता शुल्क न जमा करने पर, 6-संस्था के विरूद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर । 7- 7- संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर अविश्वास ~~प्रस्ताव~~ का प्रस्ताव पारित होने पर त्याग पत्र स्वीकृत होने पर सदस्यता संस्था की प्रबन्ध समिति द्वारा समाप्त कर दी जावेगी ।

7- संस्था के अंग:- दो अंग है ।

अ- साधारण सभा

ब- प्रबन्धकारिणी समिति।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
प्रयागराज